न्यायालय सत्र न्यायाधीश , बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 3756 सन 2017

कैलाश ---------- बनाम -------------- उ0प्र0 राज्य

<u>11.12.2017</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी–अभियुक्त कैलाश पुत्र तेजवीर, निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना खौरी, जिला अलीगढ़ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 237/2017, धारा–379,411 भा०दं०सं०, थाना–अरनियां, जिला बुलन्दशहर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्त मामले में जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध है। साथ में शपथपत्र सुधा पत्नी कैलाश इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है।

प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा दिये गये जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की बहस सुनी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक में बताया गया है कि दिनाँक 17.08.2017 को समय 20:15 बजे की घटना की बाबत उसी दिन समय 22.00 बजे वादी अनुज पालीवाल ने थाना अरनियां, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि, "उक्त दिनांक को प्रार्थी अपनी मोटर साईकिल नं0 यू0पी0 13 ए0डी0 6365 करिश्मा सफेद रंग से शाम के समय खुर्जा से अलीगढ़ जा रहा था। जब प्रार्थी अरनियां थाने से आगे मुनी गांव से निकलकर पहावती मन्दिर के पास पहुंचा तो प्रार्थी के अचानक पेट में दर्द होने के कारण प्रार्थी मन्दिर से थोड़ा पहले अपनी मोटर साईकिल को सड़क के किनारे खड़ी कर बराबर खेत में शौच के लिए चला गया था। जब प्रार्थी समय करीब 8. 15 बजे रात्रि को वापस सड़क पर आया तो देखा कि वहां पर प्रार्थी की मोटर साईकिल नहीं थी, प्रार्थी इधर उधर काफी तलाश किया, कुछ पता नहीं लगा। प्रार्थी की मोटर साईकिल को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है व प्रार्थी का मोबाईल नं0 9719946432 भी चोरी कर ली थी, जो मोटर साईकिल की डिक्की में रखा था। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

दौरान विवेचना मुखबिर खास की सूचना एवं इशारे पर दि0 28.09.2017 को पुलिस बल द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त व रोहित को इस मामले की घटना में चोरी की गयी मोटर साईकिल व मोबाईल सहित गिरफतार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा एक अन्य सह अभियुक्त योगेन्द्र के साथ उक्त घटन कारित करना स्वीकार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं मौखिक तर्कों में यह कहा गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, झूँठा फँसाया गया है। वह एफ०आई०आर० में नामजद नहीं है, संयुक्त बरामदगी दिखायी गयी है, प्रार्थी दि0 28.09.2017 से जिला कारागार में निरूद्ध है, कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है, कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, संयुक्त बरामदगी दर्शायी गयी है, अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, प्रार्थी दिनांक 28.09.2017 से जिला कारागार में निरूद्ध है, न्यायालय अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तद्नुसार अभियुक्त कैलाश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी–अभियुक्त कैलाश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अंकन 50 हजार रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनाँक–11.12.2017

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।